भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 397

दिनांक 04 फरवरी, 2020 को उत्तर देने के लिए

**सीएसआर निधि की निगरानी**

397. डॉ० डी० रविकुमार:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015-2019 के मध्य भारी उद्योगों द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि के व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारी उद्योगों द्वारा उक्त निधि के व्यय की निगरानी हेतु मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

**उत्तर**
**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री**
**(श्री प्रकाश जावड़ेकर)**

(क) भारी उद्योगों सहित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वित्तीय वर्षों 2015 -19 के दौरान सीएसआर व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

| वर्ष | सीपीएसईज़ की संख्या | व्यय (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 2015-16 | 106 | 4028.04 |
| 2016-17 | 126 | 3336.50 |
| 2017-18 | 152 | 3442.38 |
| 2018-19 | 150 | 3873.32 |

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा -135 में दिए गए सीएसआर उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों सहित सभी कार्पोरेट जो अधिनियम में उल्लिखित अधिकतम सीमा को पार करते हैं, उनके लिए सीएसआर कार्य करने हेतु तुरंत के पिछले 3 वर्षों के औसतन निबल लाभ (पीबीटी) का कम-से-कम दो प्रतिशत आबंटित करना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में सीएसआर नियमावली 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित की गई थी।

लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा सीएसआर के तहत कार्यों के क्रियान्वयन संबंधी 1 अगस्त, 2016 (अनुलग्नक- I) को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके साथ-साथ नीति आयोग द्वारा अभिनिर्धारित आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए सीएसआर निधियों के विषय आधारित उपयोग के लिए 10 दिसम्बर, 2018 (अनुलग्नक – II) को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सामान्य विषय स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पोष्टिकता हैं।

लोक उद्यम विभाग द्वारा सीएसआर पात्र केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों से सीएसआर आवंटन और व्यय पर प्राप्त आंकड़ों को विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक लोक उद्यम सर्वेक्षण में दर्शाया जाता है और इसे सदन के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है।

सीएसआर के कार्यान्वयन पर सीपीएसईज़ के कार्यनिष्पादन का आकलन भी समझौता ज्ञापन प्रणाली के माध्यम से लोक उद्यम विभाग में किया जाता है।

******

**अनुलग्नक - I**

संख्या सीएसआर- 15/0008/2014-निदेशक (सीएसआर)
भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक संख्या 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003
दिनांक : 01 अगस्त, 2016

**कार्यालय ज्ञापन**

विषय:- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कार्यकलापों के चयन एवं कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं उचित विवेक का प्रयोग करना।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रभावी होने के बाद एक निश्चित सीमा से अधिक वाले सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम को शासनादेश है कि वे संबंधित वर्ष के लिए सीएसआर कार्यकलापों को करने के लिए 3 पूर्व वर्षों के औसत निबल लाभ (पीबीटी) का औसत 2% आबंटित करें।

2. उपर्युक्त को तथा कोपू की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सीएसआर कार्यान्वयन के लिए शासनादेशित सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक अधिकार के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को निम्नलिखित का परामर्श दें:

(i) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यान्वयन हेतु चयनित सीएसआर कार्यकलाप इस कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में शामिल कार्यकलापों की सूची में से हैं।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों की जरूरतों को वरीयता देने तथा सीएसआर कार्यकलापों के अंतर्गत कार्यकलापों/परियोजनाओं के चयन के लिए स्टेकहोल्डरों के चयन एवं उनके साथ नियोजन हेतु मानदंडों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा उससे जुड़े सीएसआर नियम के अनुसार आवंटित निधि सहित सीएसआर कार्यकलापों/परियोजनाओं का विवरण देते हुए सीपीएसईज़ की वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से उनकी सीएसआर नीतियां अपलोड की जानी चाहिए।

(iv) सीएसआर के अंतर्गत कार्य-कलापों के चयन एवं कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने और विवेकानुसार निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(v) सीएसआर का कार्यान्वयन करने वाली सीपीएसईज़ द्वारा निगरानी, रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन हेतु एक संस्थागत तंत्र की शुरूआत की जानी चाहिए।

(vi) वर्ष के लिए आवंटित सीएसआर निधि के पूर्ण उपयोग हेतु सीपीएसईज़ द्वारा सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

3. यह कार्यालय ज्ञापन सीएसआर एवं सततता पर जारी दिनांक 21 अक्टूबर,2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15(13)/2013-डीपीई (जीएम) के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

हस्ता/-
(एस मीनाक्षी सुन्दरम)
निदेशक
दूरभाष : 24362770

सेवा में,

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
प्रतिलिपि : सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक

**अनुलग्नक - II**

संख्या सीएसआर -08/0002/2018-निदे. (सीएसआर)
भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक संख्या 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003.
दिनांक : 10 दिसम्बर, 2018

**कार्यालय ज्ञापन**

विषय :- केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का सीएसआर व्यय पर दिशानिर्देश

अप्रैल, 2018 में आयोजित सीपीएसईज़ कान्क्लेव के परिणामस्वरूप की गई सिफारिशों में से एक प्रत्येक वर्ष विषय आधारित अप्रोच अपनाने के द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर केंद्रित तरीके से सीएसआर निधियों के उपयोग से संबंधित थी। इस सिफारिश पर विस्तृत विचार-विमर्श लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसईज़, चयनित मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग और सचिवों की समिति के साथ किया गया था। विचार विमर्श के आधार पर सक्षम प्राधिकरण ने सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर कार्य करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करने को अनुमोदित किया है:

(i) सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर कार्यों को करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक सामान्य विषय अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए।

(ii) चालू वर्ष 2018-19 के लिए स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रित विचार-विमर्श के लिए एक विषय के रूप में लिया जा सकता है।

(iii) विषयक कार्यक्रम के लिए सीएसआर व्यय सीपीएसईज़ द्वारा किए जाने वाले वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60 प्रतिशत होना चाहिए।

(iv) आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाए (नीति आयोग द्वारा अभिनिर्धारित 112 आकांक्षी जिले अनुबंध – I में दिए गए हैं।

(v) भविष्य में वार्षिक विषयों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा।

3. सक्षम प्राधिकरण ने नीति आयोग को कार्यक्रम को आगे ले जाने का उत्तरदायित्व सौंपा है।

4. तद्नुसार आकांक्षी जिलों में सीएसआर कार्य करने वाला सीपीएसई निम्न कार्रवाई करेगा: (i) एक वरिष्ठ स्तर के कार्यपालक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा ताकि वह संबंधित आकांक्षी जिले के जिला प्रशासन से निकट संपर्क बनाकर रख सके (ii) चयनित आकांक्षी जिला (जिले) सहित नोडल अधिकारी के नाम का ब्यौरा नीति आयोग, लोक उद्यम विभाग और सीपीएसई से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग को प्रस्तुत करेगा। (iii) आकांक्षी जिले में सीएसआर के तहत सीपीएसई द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के ब्यौरे नीति आयोग, लोक उद्यम विभाग और सीपीएसई से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग को प्रस्तुत करेगा। (iv) आकांक्षी जिले के संबंधित केंद्रीय प्रभारी अधिकारी (भारत सरकार द्वारा आकांक्षी जिले के लिए नामित संयुक्त सचिव/ अपर सचिव) को सीपीएसई द्वारा वित्त पोषित की जा रही परियोजना के संबंध में सूचना देगा। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी का आकांक्षी जिले - वार ब्यौरा अनुबंध – I में दिया गया है।

5. यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित सीपीएसई का होगा कि किए जाने वाले सभी सीएसआर कार्य कंपनी अधिनियम – 2013 के संबंधित उपबंधों, इसकी अनुसूचियां और उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी नियमावली के अनुसार किए जाएंगे और वैधानिक उपबंधों से हटकर नहीं होंगे।

6. यह दिशानिर्देश स्वच्छता और एसबीएम कार्यों के लिए सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर निधियों के 33 प्रतिशत के उपयोग के संबंध में डीपीई के पूर्व में दिनांक 1 अगस्त, 2016 को जारी परामर्श को निरस्त करते हैं।

7. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि वे इन दिशानिर्देशों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने अधीन सीपीएसईज़ के नोटिस में लाएं।

8. इसे माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता०
(बी.एन. मिश्रा)
निदेशक
दूरभाषः 011-24363066

संलग्नकः यथोचित

सेवा में,

1. सभी सीएसआर पात्र सीपीएसईज़ से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. सभी सीएसआर पात्र सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यपालक।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. मंत्रिमंडल सचिवालय को उनके दिनांक 14.11.2018 के यू.ओ. सं. 252/6/2017-कैब. III के संदर्भ में
2. सीईओ, नीति आयोग।
3. सचिव के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/सलाहकार (एसकेजी) के निजी सचिव/ सलाहकार (एके) के निजी सचिव/डीडीजी के निजी सहायक।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, लोक उद्यम विभाग इस अनुरोध के साथ की उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन को डीपीई की वेबसाइट पर अपलोड करे।

| नीति आयोग द्वारा चुने गए आकांक्षी जिले | | |
|---|---|---|
| **क्रम सं.** | **राज्य** | **आकांक्षी जिले** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | विजयीनगरम |
| 2 | | वाई एस आर कडप्पा |
| 3 | | विशाखापट्टनम |
| 4 | अरुणाचल प्रदेश | नामसाई |
| 5 | असम | दरांग |
| 6 | | धुबरी |
| 7 | | बारपेटा |
| 8 | | गोलपाड़ा |
| 9 | | उदलगिरी |
| 10 | | हैलाकांडी |
| 11 | बिहार | बक्सा |
| 12 | | कटिहार |
| 13 | | खगरिया |
| 14 | | औरंगाबाद |
| 15 | | बांका |
| 16 | | बेगूसराय |
| 17 | | पूर्णिया |
| 18 | | गया |
| 19 | | शेखपुरा |
| 20 | | अररिया |
| 21 | | जमुई |
| 22 | | सीतामढ़ी |
| 23 | | मुजफ्फरपुर |
| 24 | | नवादा |
| 25 | छत्तीसगढ़ | कोरबा |
| 26 | | बस्तर |
| 27 | | बीजापुर |
| 28 | | महासमुंद |
| 29 | | दंतेवाड़ा |
| 30 | | कांकेर |
| 31 | | कोंडागाँव |
| 32 | | नारायणपुर |
| 33 | | राजनंदगांव |
| 34 | | सुकमा |
| 35 | गुजरात | नर्मदा |
| 36 | | दाहोद |
| 37 | हरियाणा | मेवात |
| 38 | हिमाचल प्रदेश | चंबा |

| | | |
|---|---|---|
| 39 | जम्मू और कश्मीर | कुपवाड़ा |
| 40 | | बारामुला |
| 41 | झारखंड | साहेबगंज |
| 42 | | गोड्डा |
| 43 | | लातेहार |
| 44 | | पाकौर |
| 45 | | लोहरदगा |
| 46 | | पलामू |
| 47 | | पूर्वी सिंहभूम |
| 48 | | रामगढ़ |
| 49 | | रांची |
| 50 | | खूंटी |
| 51 | | पश्चिम सिंहभूम |
| 52 | | बोकारो |
| 53 | | चतरा |
| 54 | | दुमका |
| 55 | | गढ़वा |
| 56 | | गिरडीह |
| 57 | | गुमला |
| 58 | | हजारीबाग |
| 59 | | सिमडेगा |
| 60 | कर्नाटक | यादगीर |
| 61 | | रायचूर |
| 62 | केरल | वायनाड |
| 63 | मध्य प्रदेश | दमोह |
| 64 | | सिंगरौली |
| 65 | | छतरपुर |
| 66 | | राजगढ़ |
| 67 | | बड़वानी |
| 68 | | गुना |
| 69 | | विदिशा |
| 70 | | खंडवा |
| 71 | महाराष्ट्र | नंदुरबार |
| 72 | | वाशिम |
| 73 | | उस्मानाबाद |
| 74 | | गडचिरोली |
| 75 | मणिपुर | चंदेल |
| 76 | मेघालय | राईभोई |
| 77 | मिजोरम | मामित |

| | | |
|---|---|---|
| 78 | नगालैंड | किफायर |
| 79 | ओडिशा | रायगढ़ |
| 80 | | कालाहांडी |
| 81 | | कंधमाल |
| 82 | | कोरापुट |
| 83 | | गजपति |
| 84 | | मल्कानगिरी |
| 85 | | नवरंगपुर |
| 86 | | नुआपाड़ा |
| 87 | | ढेंकनाल |
| 88 | | बलांगीर |
| 89 | पंजाब | फिरोजपुर |
| 90 | | मोगा |
| 91 | राजस्थान | जैसलमेर |
| 92 | | करौली |
| 93 | | बरन |
| 94 | | धौलपुर |
| 95 | | सिरोही |
| 96 | सिक्किम | पश्चिम सिक्किम |
| 97 | तमिलनाडु | रामनाथपुरम |
| 98 | | विरुधुनगर |
| 99 | तेलंगाना | भुपलपल्ली |
| 100 | | आसिफाबाद |
| 101 | | भदाद्री- कोठागुदेम |
| 102 | त्रिपुरा | धलाई |
| 103 | उत्तर प्रदेश | चित्रकूट |
| 104 | | बलरामपुर |
| 105 | | चंदौली |
| 106 | | बहराइच |
| 107 | | फतेहपुर |
| 108 | | सिद्धार्थनगर |
| 109 | | सोनभद्र |
| 110 | | श्रावस्ती |
| 111 | उत्तराखंड | हरिद्वार |
| 112 | | उधम सिंह नगर |